न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 52/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/190)

1. जगदीश पुत्र श्री नारायण, जाति मीना, निवासी ग्राम राहुवास, तहसील राहुवास, जिला दौसा।

–अपीलान्ट

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र किशन लाल,
2. शंकर लाल पुत्र किशन लाल,
   समस्त जाति मीना, निवासीयान् ग्राम सिंहपुरा, तहसील राहुवास, जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहुवास, तहसील राहुवास, जिला दौसा।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 08.06.2023 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी मूलचन्द बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नंबर 22/2023 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–31.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 08.06.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.के साथ दिनांक 07.07.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 2.6810 है0 भूमि वाके ग्राम गुढ़ा सम्पतपुरा, तहसील राहुवास, जिला दौसा में स्थित है। जिसका प्रार्थी एक मात्र काबिज काश्त रिकार्डेड खातेदार है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान व पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राहुवास को आदेश दिये गये कि आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 2.6810 है0 भूमि वाके ग्राम गुढ़ा सम्पतपुरा, तहसील राहुवास, जिला दौसा का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी जरिये पुलिस इमदाद के साथ किया जावें। मुताबिक सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2023 पारित किये गये हैं ।

3. उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 08.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट जगदीश पुत्र श्री नारायण द्वारा यह अपील धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 08.06.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय हैं। वास्तविकता में अपीलान्ट जो कि खसरा नम्बर 19 का पडौसी

खातेदार काश्तकार हैं। जिसको उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं, जबकि अपीलान्ट उक्त भूमि खसरा नम्बर 19 में पिछले 50 वर्षों से दो बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं तथा अपीलान्ट के मकानात व पाटोल पोश बने हुये हैं, बिजली कनेक्शन लगा हुआ हैं। जिस कारण अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया हैं। कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि के खातेदारों काश्तकारों को एवं पडौसी काश्तकारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश पारित किया जाना चाहिये था, जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया, जिस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि ग्राम गुढा सम्पतपुरा, पटवार हल्का कालूवास, तहसील राहुवास, जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बर 18 तथा 81/4 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.3270 हैक्टेयर स्थित हैं तथा कानूनन सीमा का विवाद पडौसी काश्तकारों से ही होता हैं, जिस कारण कानूनन सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने से पूर्व पडौसी काश्तकारों को सूचना दिया जाना आवश्यक हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट जो कि प्रकरण में आवश्यक एवं सुसंगत पक्षकार था, को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया, जिसके मध्यनजर भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय हैं।

कानूनन सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी के कानून का प्रावधान उपयोग किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने के लिये नहीं किया जा सकता हैं, क्योंकि अपीलान्ट का खसरा नम्बर 19 के दो बीघा पर 50 वर्षो से कब्जा काश्त रहा हैं तथा अपीलान्ट द्वारा मकानात आदि बना रखे हैं, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को हैं, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलाधीन आदेश की आढ में अपीलान्ट को बेदखल करना चाहते हैं। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 04.07.2023 को रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 द्वारा भूमि की पत्थरगढी करवाने बाबत धमकी दिये जाने पर हुई हैं, जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर छानबीन करने पर अपीलान्ट को अपीलधीन आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 04.07.2023 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट को दिनांक 04.07.2023 को पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की वास्तविक रूप से जानकारी हुई, जिससे उक्त अपील जानकारी के दिवस से अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 08.06.2023 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 08.06.2023 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट बाबत सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया था। विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 2.6810 है0 भूमि वाके ग्राम गुढ़ा सम्पतपुरा, तहसील राहुवास, जिला दौसा में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये सीमाज्ञान, पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजी की ही सीमाज्ञान व पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2023 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.6.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर